(218)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 597 /मा0अनु0(जोन–ए)/20 दिनांक 16.07.2020

मेरठ विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मैसर्स एक्मे इन्फ्रा बिल्डटेक (इं0) प्रा0 लि0 एंव मैसर्स एक्मे बिल्डटेक (इं0) प्रा0 लि0 द्वारा श्री प्रदीप कुमार (डायरेक्टर), निवासी–ए 96, सरस्वती लोक, दिल्ली रोड, मेरठ के प्रार्थना पत्र दिनांक–19.05.2020 के माध्यम से ग्राम लिसाडी, हापुड बाईपास, मेरठ के खसरा सं0 402 से 409, 441 से 444, 446, 500, 503, 507 से 510, 514, 515 की कुल भूमि क्षेत्रफल 41803.28 वर्ग मी0 (नेट क्षेत्रफल 40723.15 वर्ग मी0) पर स्थित ग्रहम कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 20/10 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 के आधार पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 09.07.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अनुसार कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

1– जब तक कालोनी के विकास कार्यो को नगर निगम/आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तंतरित नहीं किया जाता, तब तक विकासकर्ता को विकास कार्यों का रख–रखाव करना होगा।

2– पार्को तथा खुले स्थानों को विक्रय नहीं किया जायेगा।

3– नाली तथा सीवर की रेगुलर क्लीनिंग की जायेगी।

4– कूड़े का निस्तारण एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2016 के अनुरूप किया जायेगा।

5– फायर हाईड्रेन्ट कियाशील अवस्था में रखने होंगे।

6– विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी अनापत्तियों में उल्लेखित शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।

7– यदि प्राधिकरण की कोई देयता है तो मॉगे जाने पर जमा की जानी होगी।

8– योजना में प्रस्तावित भवनों का पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।

9– विकास एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने पर समस्त परिसर का एकीकृत रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

संलग्नकः– पूर्णता मानचित्र की प्रति।

16/7/20

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।
16/7/2020